

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारतसरकार
वित्तमंत्रालय
(राजस्वविभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय


अधिसूचना सं. 26/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 21.05.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित केद्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 42/2019-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 06.09.2019, का.आ.3245 (अ) दिनांक 09.09.2019 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.3 के स्तंभ सं.3 में मौजूद शब्दों को "फ़ा सं DRI/CZU/VIII/48/Enq-1/Int-36/2018 दिनांक 05.05.2019, दिनांक 04.02.2020 के पूरक कारण बताओ नोटिस और पूरक कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.02.2020 के शुद्धिपत्र दिनांक 02.03.2020 के साथ पठनीय" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फ़ा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-35/2019-सीआई]


(जिसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, कमरा सं 214, नया कस्टम हाउस, आईजीआई एयरपोर्ट के निकट, नई दिल्ली-110037
2. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, चेन्नई को उनके पत्र फ़ा सं. DRI/CZU/VIII/48/Enq-1/Int-36/2018 दिनांक 02.03.2020 के संदर्भ में और इस अनुरोध के साथ कि वे कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.05.2019 के नोटिसियों को इस संदर्भ में सूचित करें।
3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (II), 60, राजाजी सलाई, कस्टम हाउस, चेन्नई-600001